संख्या- 231 /2015- 3950/नौ-5-2015-197बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ
2.अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बिलराम (कासगंज), नगर पालिका परिषद बांसी (सिद्वार्थनगर)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास योजना' के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ (लखनऊ), नगर पंचायत बिलराम (कासगंज), नगर पालिका परिषद बांसी (सिद्वार्थनगर) के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 मे प्रस्तावित कार्यो की लागत रू0 262.50 लाख (रू दो करोड़ बांसठ लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु रू0 131.25 लाख (रू0 एक करोड़ इक्कतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	कार्य के विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	महानगर वार्ड स्थित सागेश्वर शमशानघाट के हाल, रूम, बरामदा टायलेट, बाउन्ड्रीवाल, शवदाह हेतु प्लेटफार्म, लकडी स्टोर रूम, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल हेतु समरसर्बिल पम्प आदि विकास के कार्य ।	80.20	40.10
2	कासंगंज	नगर पंचायत बिलराम	बाउन्ड्रीवाल, शवदाह हेतु प्लेटफार्म, पाथ वे पेयजल व्यवस्था हेतु समरसर्बिल पम्प, विश्राम हेत हाल का निर्माण।	38.80	19.40

go samsan mangal font

3	सिद्वार्थनगर	नगर पालिका परिषद बांसी	शासनादेश सं0-6623/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 09.12.2014 के क्रमांक-3 पर अंकित वित्तीय स्वीकृति को निरस्त करते हुये पूर्व में स्वीकृत निम्न कार्यों को कराया जाना अनुमन्य किया जा रही है- वार्ड नं0-18 नरकटहा क्षेत्र पशुपतिनगर, राप्ती नदी के किनारे शमशान स्थल का विकास कार्य कंक्रीट चबूतरा, रेलिंग, टीनशेड का निर्माण कार्य।	143.50	71.75
			योग	262.50	131.25

(रू एक करोड़ इक्कतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

1. नगर पालिका परिषद बांसी जनपद सिद्वार्थनगर के शमशानघाट के कार्यों के लिये शासनादेश सं0-6623/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 09.12.2014 के क्रमांक-3 पर अंकित कार्यों को निरस्त किया गया है। अतः शासनादेश दिनांक 09.12.2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
2. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 05 जनवरी 2015 तथा 12 जून, 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए इसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।
6. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाय। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टरेक्ट/डीजीएसएण्डडी की दरों पर ही किया जाय।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मदों में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नही होगा ।
10. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

11. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

13. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

14. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ /लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2235 -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 231/2015-3950(1)/नौ-5-2015-197बजट/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ/ अलीगढ़/बस्ती ।
3 जिलाधिकारी, लखनऊ/कासगंज/ सिद्वार्थनगर।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ/कासगंज/ सिद्वार्थनगर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. महापौर, नगर निगम लखनऊ/ अध्यक्ष, नगर पंचायत बिलराम (कासगंज), नगर पालिका परिषद बांसी (सिद्वार्थनगर)।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go samsan mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-10/07/2015

प्रेषण संख्या:- 231-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-231-2015-3950-9-5-2015-197B-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4010000 19010000	4010000 19010000
2	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7175000 7175000	7175000 7175000
3	कांसगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1940000 14230000	1940000 14230000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13125000 40415000	13125000 40415000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तीस लाख पच्चीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी